ये तीन दस्तावेज हैं तो एक हफ्ते में मिल जाएगा आपको पासपोर्ट

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर दो बड़े बदलावों की घोषणा की है। पासपोर्ट हासिल करने वालों को अब ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं करना होगा। लोकल पासपोर्ट सेवा केंद्र के जरिए अब इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। देश के नागरिक अब सामान्य कैटिगरी में एक हफ्ते के भीतर नया पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब पासपोर्ट के आवेदन के साथ केवल तीन डॉक्युमेंट्स देने होंगे। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्मेट एनेक्सचर-1 के साथ एक ऐफिडेविट (नागरिकता की घोषणा, फैमिली डिटेल्स और किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना) है।

इससे पहले पासपोर्ट के लिए कम से कम एक महीने का वक्त लगता था। पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा समय जाया होता था। अब पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मंत्रालय द्वारी जारी बयान में बताया गया है कि इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। पासपोर्ट केंद्र आधार नंबर की वैधता की जांच अब ऑनलाइन करेगा। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की जांच की भी जरूरत पड़ी तो इससे संबंधित डेटाबेस के जरिए की जाएगी। यह सब प्रक्रिया पासपोर्ट के लिए आवेदन अप्रूव होने के पहले ही संपन्न की जाएगी। यदि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज के उलट कुछ पाया जाता है तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा।

साभार- टाईम्स ऑफ इंडिया से